

FORM NO.111

फॉर्म अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

मेवादास बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर वगै०

मुकदमा नम्बर-44/2022

तारीख हुक्म

किरम मुकदमा - इजराय

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

जज व कर्मियों
अहकाम जो हुक्म
हुक्म की तारीख में
जारी हुई

30.11.2022

वकील डिक्रीदार श्री कगल कुमार शर्मा एड० ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2022 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 28.12.2022 को पेश हो।

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

08.05.2024

पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 2118 दिनांक 28.12.2022 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज की जाकर फैसल की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)



डॉ. अनिल कुमार
श्रीमाधोपुर
आरेखी
पालना
नं. सं. 2118
दि. 28.12.22
द्वारा की गयी।

श्रीमाधोपुर
JMR